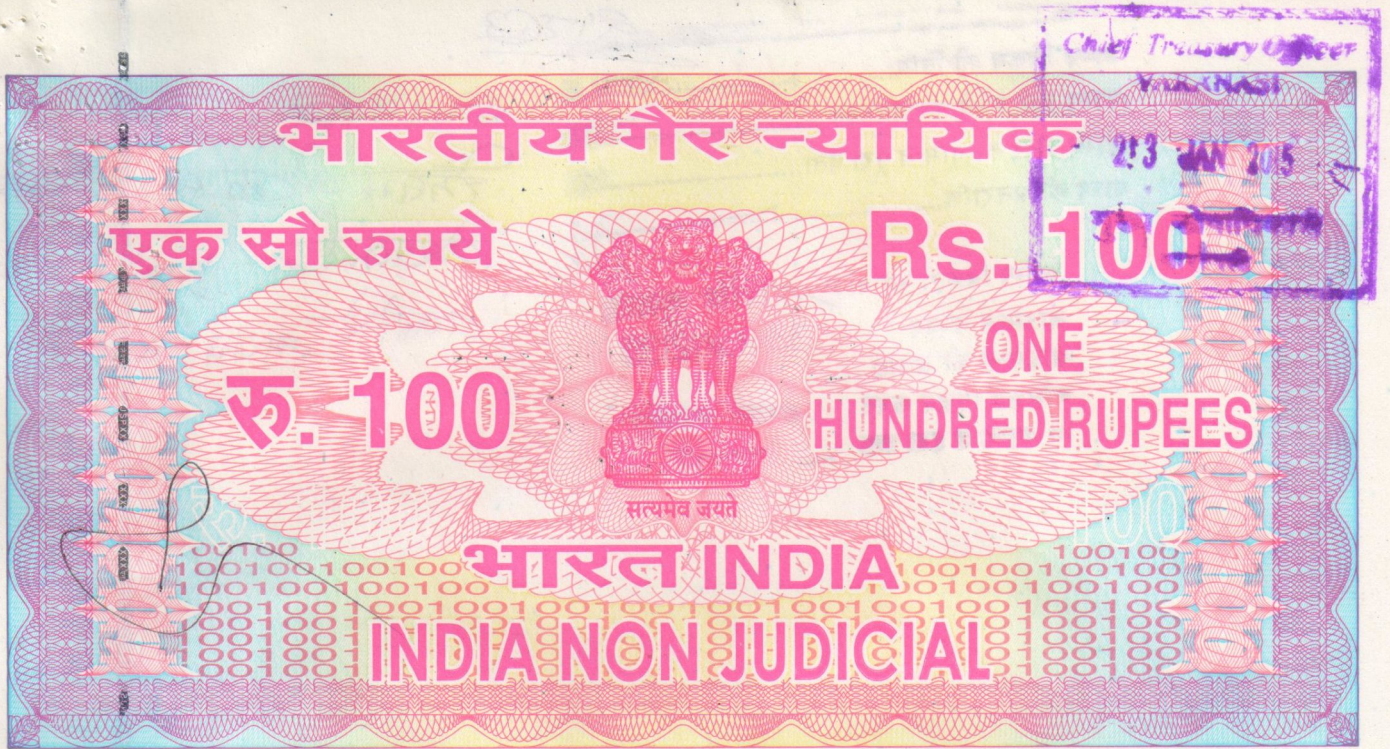




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 162853

23

निवासी आपस में कोई कम्पनी या सोसाइटी बनायें और उसके द्वारा सम्पूर्ण काम्पलेक्स मय कामन एरिया का रख रखाव अपने खर्च से करेंगे।

17. यह कि यदि इस अनुबन्ध पत्र में शर्तों के सम्बन्ध में भू-स्वामी व विकासकर्ता के बीच यदि कोई विवाद पैदा होगा तो उपरोक्त विवाद को तय करने के लिए उसे पंच (आरबीट्रेटर) के समक्ष संदर्भित किया जायेगा जिसमें एक सदस्य भू-स्वामी द्वारा व दूसरा सदस्य विकासकर्ता द्वारा नामांकित किया जायेगा और उपरोक्त दोनों नामांकित, सदस्य आपसी सहमति से तीसरे सदस्य का मनोनीत करेंगे आरबीट्रेशन की कार्यवाही अधिनियम संख्या 26 सन् 96 के प्राविधानों के अनुसार होगी

Arun Kumar Singh
 R. K. Pant
 Rohan Yadav
 Arun Kumar Singh
 R. K. Pant
 R. K. Pant